

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : जबलपुर
आदेश //

क्रमांक ५१८६१०

जबलपुर, दिनांक 26/09/2017

श्री विजय शर्मा सहायक ग्रेड-एक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर की उपरिक्ता उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर तथा खण्डपीठ इन्हौर/गवालियर एवं अधिकारियों एवं कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची के सहायक ग्रेड-एक के काडर म श्रीमती श्रुद्धा द्विवेदी सहायक ग्रेड-एक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इन्हौर के नाम के नीचे एवं श्रीमती इशरत बानो सहायक ग्रेड-एक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के नाम के ऊपर निर्धारित की जाती है :

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय
हे. आदेशमुस्तक

SD/-

(मो. फहीम अनवर)

रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठाकान्त क्रमांक ५१८६१० /
प्रतिलिपि -

जबलपुर, दिनांक 26/09/2017

- प्रिंसिपल रजिस्ट्रार उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्हौर, (म.प.)
 - प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ गवालियर, नवीन उच्च न्यायालय भवन, सिटी सेटर, गवालियर
 - रजिस्ट्रार प्रशासन/न्यायिक 1 एवं 2, /डी.ई/आई.एल/व्ही.ई/पी.पी एस, /गिरीक्षण एवं सतर्कता/एक्जाम एड लेबर ज्यूडीशियरी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
 - रजिस्ट्रार आइटी उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय नक्यप्रदेश की वेबसाईट में अपलोड कराने हेतु
 - लेखा अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
 - डिप्टी रजिस्ट्रार उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
 - असिस्टेंट रजिस्ट्रार उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
 - अनुभाग अधिकारी स्थापना/लेखा/बजट/पेशन/न्यायिक, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
 - रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
 - प्रिंसिपल रजिस्ट्रार न्यायिक / आई.ए.ल.आर. एवं एक्जाम/सतर्कता महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 - सहायक स्थापना/अवकाश/सेवा पुस्तिका/वेतन पत्रक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 - दो अतिरिक्त प्राते सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर.
 - श्री विजय शर्मा सहायक ग्रेड-एक उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 - श्रीमती श्रुद्धा द्विवेदी सहायक ग्रेड-एक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्हौर म.प्र
 - श्रीमती इशरत बानो सहायक ग्रेड-एक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
- की ओर सूचनार्थ एवं आदश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेषित।

(चन्द्रेश कुमार खरे)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)